

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

नीलाम पत्र अपीलवाद संख्या-31/2019-20

परियोजना पदाधिकारी, करगली अन्तर ग्राउण्ड कोलयरी, बी० एण्ड के० एरिया,
सर्वश्री सी०सी०एल०, पो० करगली, बोकारो

बनाम्

झारखण्ड राज्य सरकार एवं अन्य

—आदेश:—

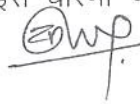
29.12.2022

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख और उसमें संधारित कागजातों का अवलोकन किया गया। नीलाम पत्र पदाधिकारी (खनन), धनबाद खनन अंचल द्वारा नीलाम पत्र वाद सं०-09/2013-14 (जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो बनाम् परियोजना पदाधिकारी, करगली अन्तर ग्राउण्ड कोलयरी, बी० एण्ड के० एरिया, सर्वश्री सी०सी०एल०, पो० करगली बोकारो) में दिनांक-18.12.2018 को पारित आदेश के विरुद्ध यह अपीलवाद U/s 60(1)(a) of The Bihar and Orissa P.D.R Act 1914 के अन्तर्गत दायर किया गया है।

यह मामला महालेखाकार के अंकेक्षण आपत्ति सं०-93/2012-13 के कड़िका 12 में कुल 25084.86 मै० टन W-IV ग्रेड का कोयले पर कम दर से Royalty के भुगतान से संबंधित है।

उक्त के क्रम में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं निम्न न्यायालय के द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया गया।

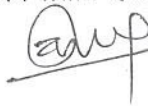
अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दलील दिया गया कि निम्न न्यायालय के द्वारा स्वांग वाशरी द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न बिलों देखे बिना ही इस मामले में आदेश पारित किया गया है। निम्न न्यायालय ने सी०सी०एल० मुख्यालय, दरभंगा हाउस के पत्र सं०-WSRY (C.C.L.)/Raw Coal Linkage (FY) 11-12/510-35 to C.C.L. washeries for 2011/2012 related list of Coal Linkage of Kargali (BSI-U/G) W-IV grade Swang washery के पत्र पर विचार नहीं किया गया। विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह भी कहा गया कि निम्न न्यायालय यह भी विचार करने में विफल रही है कि करगली अन्तर ग्राउण्ड कोलयरी द्वारा W-IV ग्रेड का कोयले के बिक्री मूल्य यानी 1120/-रु० प्रति मै० टन को लागू करते हुए रॉयल्टी का भुगतान किया गया था। जो power utilities/Steel sector को बिक्री के मामले में लागू होता है। यह इस धारणा पर आधारित था कि



स्वांग वाशरी को हस्तांतरित कोयला अंततः power utilities/Steel sector को बेचा जा सकता था। अपीलकर्ता ने निम्न न्यायालय में यह प्रमाणित कर दिया कि कानून के प्रावधान के तहत 146/-रु0 प्रति टन से अधिक Royalty भुगतान करने के लिए वह उत्तरदायी नहीं हैं। लेकिन अपीलकर्ता के द्वारा प्रस्तुत बिल पर निम्न न्यायालय विचार करने में विफल रही है। अंत में विद्वान अधिवक्ता के द्वारा कहा गया कि निम्न न्यायालय के द्वारा न्याय का गलत अर्थ निकाला और गलत निष्कर्ष पर पहुँचकर आदेश पारित किया गया जो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है अर्थात् निम्न न्यायालय का आदेश खारिज करने लायक है।

विद्वान निम्न न्यायालय द्वारा इस वाद में पारित आदेश का अवलोकन किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि—
कोल इण्डिया लि0 द्वारा दिनांक-26.02.2011 को Price Notification No. CIL:S&M:GM(F) Pricing 1907 Coking Coal Pricing जारी किया है, जिसमें कोलियरियाँ जो Linked to Washery हैं, की सूची भी संलग्न है। उक्त सूची के Annexure VI & VII में करगली अन्डर ग्राउण्ड कोलियरी शामिल नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि सर्वश्री कोल इण्डिया लि0 द्वारा जारी अधिसूचना में करगली अन्डर ग्राउण्ड कोलियरी को Linked to Washery की सूची में नहीं रखा गया है। अतः अर्चना पदाधिकारी के द्वारा माँग की गई अन्तर Royalty की राशि अधिसूचना के Table VII के W-IV गूल्य दर पर आधारित है, और सही है।

दोनों पक्षों की दलील/तर्क एवं अभिलेख में संधारित अन्य कागजातों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि विद्वान निम्न न्यायालय द्वारा विस्तृत रूप से सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया गया है। निम्न न्यायालय में अपीलकर्ता के द्वारा उठाये गए सभी आपत्तियों को, जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो के द्वारा स्पष्ट रूप विश्लेषण कर खण्डन किया गया है। अपीलकर्ता के द्वारा अब तक इस न्यायालय में ऐसा कोई ठोस प्रमाण/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका, जिसके आधार पर निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य प्रतीत होता हो।



वर्णित परिस्थिति में नीलाम पत्र पदाधिकारी (खनन), धनबाद खनन अंचल द्वारा नीलाम पत्र वाद सं०-०९/२०१३-१४ (जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो बनाम् परियोजना पदाधिकारी, करगली अन्डर ग्राउण्ड कोलयरी, बी० एण्ड के० एरिया, सर्वश्री सी०सी०एल०, पो० करगली बोकारो) में दिनांक-१८.१२.२०१८ को पारित आदेश को यथावत रखते हुए अपीलकर्ता के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है एवं वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,
बोकारो।

C. C. Issued Vid.
No. 7349 Dated 20/01/23